



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272359  
CG-DL-E-09052026-272359

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2231]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2231]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

**का.आ. 2322(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की तारीख 26 सितंबर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2899, के अधिक्रमण में, व, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भवन निर्माण अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य पर किसी नियोक्ता द्वारा किए गए सन्निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर पर एक उपकर विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. ज़ेड-20012/09/2025-बीओसीडब्ल्यू]

आशुतोष ए. टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

**S.O. 2322(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 100 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Labour number S.O. 2899, dated the 26<sup>th</sup> September, 1996, the Central Government hereby specifies a cess at the rate of one per cent. of the cost of construction incurred by an employer on building or other construction work, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Z-20012/09/2025-BOCW]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.

3251 GI/2026